रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236683 CG-DL-E-17062022-236683

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 436**] No. 436] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

सा.का.नि. 457(अ).—केंद्रीय सरकार, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) की धारा 6 के साथ पठित सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (प), (फ) और (भ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (नामांकन द्वारा विशेषज्ञ सदस्यों की नियक्ति) नियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से पृवृत होंगे।
- 2. राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 27 के खंड (च) के अधीन विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड में विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र अपने स्वयं के तंत्र तैयार कर सकते हैं।
- 3. विशेषज्ञ सदस्यों के लिए अर्हता और अनुभव सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 धारा 27 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों के पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव होगा, अर्थात्: -
  - (i) चिकित्सा आनुवंशिकीविद के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा आनुवंशिकी में राष्ट्रीय बोर्ड में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन या डिप्लोमेट होना चाहिए, और ऐसे क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

4105 GI/2022 (1)

- (ii) भ्रूणिवज्ञानी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भ्रूणिवज्ञान या नैदानिक भ्रूणिवज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा अर्हता स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, और ऐसे क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
- (iii) स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ के पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रसूति और स्त्री रोग में चिकित्सा अर्हता स्नातकोत्तर होनी चाहिए और ऐसे क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
- (iv) सामाजिक वैज्ञानिक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक अर्हता या सामाजिक विज्ञान में अधिमानतः स्नातकोत्तर अर्हता होनी चाहिए और ऐसे क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
- (v) महिला कल्याण संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक अर्हता होनी चाहिए और महिलाओं के हित के लिए काम करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- (vi) महिला स्वास्थ्य और बालक मुद्दों पर कार्य कर रहे नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अर्हता स्नातक होनी चाहिए और महिला स्वास्थ्य और बाल मुद्दों पर काम करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- 4. आयु सीमा यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका/चुकी है तो वह सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
- 5. सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नियम 4 के अधीन रहते हुए, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 27 के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य, दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

[फा. सं. यू.11019/04/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (Department of Health Research)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2022

- **G.S.R. 457(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (u), (v) and (x) of sub-section (2) of section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021) read with section 6 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board (Appointment of Expert Members) Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Manner of appointment of Expert Members under clause (f) of section 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 in States and Union Territories. Subject to the provisions of the Act and these rules, the State Government and Union territory may draw its own mechanism for appointment of Expert Members in the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board.
- **3. Qualification and experience for Expert Members. -** The Members referred to in clause (f) of Section 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 shall possess the following qualification and experience, namely: -
  - the Medical Geneticist shall possess Doctorate of Medicine or Diplomate in National Board in Medical Genetics recognized by the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), having experience of not less than five years in such field;

- (ii) the Embryologists shall possess post-graduate medical qualification or doctoral degree in the field of embryology or clinical embryology from a recognized university having experience of not less than five years in such field;
- (iii) the Gynaecologist and Obstetrician shall possess post-graduate medical qualification in Obstetrics and Gynaecology recognized by the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), having experience of not less than five years in such field;
- (iv) the Social Scientist shall possess graduate qualification in any discipline or preferably a postgraduate qualification in social science from a recognized University, having experience of not less than five years in such field;
- (v) the representative of Women Welfare organization shall possess graduate qualification in any discipline from a recognized University, working for the welfare of women for not less than five years;
- (vi) the representative from civil society working on women's health and child issues shall possess graduate qualification in any discipline from a recognized University, working on women's health and child issues for not less than five years.
- **4. Age limit.** A person shall not be eligible to be appointed as an Expert Member if he or she has attained the age of sixty-five years at the time of appointment.
- **5. Re-appointment of Members**. Subject to rule 4, the Member referred to in clause (f) of section 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, shall be eligible for re-appointment for another term.

[F. No. U.11019/04/2022-HR] GEETA NARAYAN, Jt. Secy.